न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रियांबडी (नागौर)
बईजलास श्री सुरेश कुमार आर. ए. एस.
मुकदमा संख्या 24/2023

र्थी–

01. छीतरराम पुत्र डूंगाराम,
जाति जाट निवासी पादूकलां तहसील रियांबड़ी, जिला नागौर

बनाम

01. सुर्यप्रकाश पुत्र श्री बस्तीमल
02. 02. हीरादेवी पत्नी श्री बस्तीमल
03. ओमप्रकाश पुत्र श्री बस्तीमल
04. प्रेमप्रकाश पुत्र हस्तीमल
05. नन्दकिशोर के कायम मुकाम
 5/1 नरेन्द्र पुत्र श्री नन्दकिशोर
 5/2 महेन्द्र पुत्र श्री नन्दकिशोर
 5/3 प्रेमलता पत्नी श्री नन्दकिशोर ,
06. विष्णुकुमार पुत्र श्री हस्तीमल
07. गणपत पुत्र श्री नथमल
08. घनश्याम पुत्र श्री नथमल
09. रामस्वरूप पुत्र श्री नथमल के कायम मुकाम
 9/1 रमेशचन्द पुत्र श्री रामस्वरूप
 9/2 सुरेश कुमार पुत्र श्री रामस्वरूप
 9/3 जुगलकिशोर पुत्र श्री रामस्वरूप
 9/4 दिनेश कुमार पुत्र श्री रामस्वरूप
 9/5 जानकी देवी पुत्री श्री रामस्वरूप
 9/6 संतोष पुत्री श्री रामस्वरूप
10. भंवरीदेवी पत्नी नथमल (फौत)
11. जयप्रकाश पुत्र जगदीशचन्द
12. राधेश्याम पुत्र श्री जगदीशचन्द के कायम मुकाम
 12/1 धनेशकूमार पुत्र श्री राधेश्याम
 12/2 मोनिका पुत्री श्री राधेश्याम
 12/3 खुशबु पुत्री श्री राधेश्याम
 12/4 संतोष पत्नी श्री राधेश्याम
13. विजयप्रकाश पुत्र श्री जगदीशचन्द के कायम मुकाम
 13 /1 अभिषेक पुत्र श्री विजयप्रकाश
 13/2 अर्जुन पुत्र श्री विजयप्रकाश
 13/3 ममता पत्नी श्री विजयप्रकाश
14. सावित्री पुत्री जगदीशचन्द
15. श्रीराम पुत्र श्री मुलतानराम के कायम मुकाम
 15/1 कमलकिशोर पुत्र श्री श्रीराम
 15/2 चमन पुत्री श्री श्रीराम
 15/3 सुमन पुत्री श्री श्रीराम
 15/4 कमलादेवी पत्नी श्री श्रीराम
 सभी जातियान सुनार निवासी पादूकला तहसील रियांबडी जिला नागौर
16. . संजुदेवी पत्नी बाबुराम
17. आशाराम पुत्र श्री प्रतापराम
18. जस्साराम पुत्र श्री प्रतापराम
19. भैराराम पुत्र श्री प्रतापराम

उपखण्ड अधिकारी रियांब
जिला–नागौर

साऊदेवी पत्नी पुराराम

सभी जातियान जाट निवासी पादूकलां तहसील रियांबडी जिला नागौर

21. तहसीलदार, रियांबड़ी

22. पटवारी हल्का पादूकलां

दि० 27/8/24

आदेश

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण ग्राम पादूकलां के स्थाई निवासी है, प्रार्थी का खेत न. 3177 रकबा 0.87 हैक्टेयर व ख.न 4887/ 3178 रकबा 0.18 हैक्टेययर कुल रकबा 1.05 हैक्टैयर हुआ है, जिसमे जाने के लिए अप्रार्थीगण संख्या 1 से 15 की खातेदारी के खेत ख.न. 3181 रकबा 17 हैक्टेयर आया हुआ है, परन्तु बंट मे अप्रार्थी संख्या 07 से 10 के आया हुआ है। परन्तु अभी तक स्व रेकर्ड मे अलग अलग बंटवाड़ा नही होने के कारण सभी खातेदारान को पक्षकार बनाया गया है। है कि अप्रार्थगण संख्या 1 ता 45 की खातेदारी मे खेत ख.न. 3181 रकबा 4.17 हैक्टैयर व अप्रार्थी संख्या 16 की खातेदारी मे खेत ख.न. 4890 /3179 रकबा 0.43 हैक्टेयर अप्रार्थीगण संख्या 20 की खातेदारी मे ख.न. 4889 /3179 रकबा 0.18 हैक्टेयर व ख.न. 4888/3178 रकबा 0.34 हैक्टैयर व अप्रार्थी संख्या 17 से 19 की खातेदारी ख.न. 4892/3180 रकबा 0.52 हैक्टेयर की पश्चिमी माठ के सहारे सहारे अपने खेत मे आना जाना रहता है। जो कि ख.न. 3181 की दक्षिणी माठ के सहारे सहारे कट्टाणी मार्ग आया हुआ है। जो आगे खेतों मे जाता है। इस प्रकार प्रार्थी का अपने खेत खसरान मे काश्त करने के लिए आना जाना रहता है। परन्तु अप्रार्थीगण की नियत खराब हो गई है। जिससे प्रार्थी को अपने खेत को काश्त करने से वंचित कर दिया है। जिससे यह प्रार्थना पत्र पेश है। यह है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 15 की खातेदारी मे खेत ख.न. 3181 रकबा 4.17 हैक्टैयर व अप्रार्थी संख्या 16 की खातेदारी मे खेत ख.न. 4890/3179 रकबा 0.43 हैक्टेयर अप्रार्थीगण संख्या 20 की खातेदारी मे ख.न. 4889/3179 रकबा 0.18 हैक्टेयर व ख.न. 4888/3178 रकबा 0.34 हैक्टैयर व अप्रार्थी संख्या 17 से 19 की खातेदारी ख.न. 4892/3180 रकबा 0.52 हैक्टेयर की पश्चिमी माठ के सहारे सहारे अपने खेत ख.न. 3177 रकबा 0.87 हैक्टेयर व ख.न 4887/3178 रकबा 0.18 हैक्टेययर कुल रकबा 1.05 हैक्टैयर मे आने जाने के लिए 15 फुट चौड़ा रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी है इसके अलावा प्रार्थी के पास कोई रास्ता नही है एवं प्रार्थी के पास अन्य कोई अल्ट्रनेट रास्ता मौजूद नही है एवं अपने खेत ख.न. 3177 रकबा 0.87 हैक्टेयर व ख.न 4887/3178 रेकबा 0.18 हैक्टेययर कुल रकबा 1.05 हैक्टैयर मे आने जाने मे भारी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। साथ मे नकल खतौनी व नक्शा पेश है। यह है कि उक्त खसरा मे जाने के लिए इसके अलावा कोई कट्टाणी रास्ता मौजूद नही है, एक मात्र रास्ता प्रार्थी के खेतों मे जाने का है। यह है कि प्रार्थी को अपना काश्त कार्य करने एंव आवागमन हेतु ट्रैक्टर, हल, गाडी, छकड़ा, जानवर आदि आने जाने के लिए काश्त ही नही करने दे रहे है। जिससे प्रार्थी की अपना काश्त कार्य कठिन हो गया है, जिससे उक्त रास्ता के हेतु प्रार्थना पत्र पेश है। यह है कि प्रार्थी, अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 15 की खातेदारी में खेत ख न. 3181 रकबा 4.17 हैक्टैयर व अप्रार्थी संख्या 16 की खातेदारी में खेत ख.न 4890/3179 रकबा 0.43 हैक्टेयर अप्रा्थीगण संख्या 20 की खातेदारी मे ख.न. 4889/3179 रकबा 0.18 हैक्टयर व ख न 4888/3178 रकबा 0.34 हैक्टैयर व अप्रार्थी संख्या 17 से 19 की खातेदारी ख न 4892/3180 रकबा 0.52 हैक्टेयर की पश्चिमी माठ के सहारे सहारे होकर आगे प्रार्थी अपने डैत ख.न. 3177 रकबा 0.87 हैक्टेयर व ख.न 4887/3178 रकबा 0.18 हैक्टेयर कुल रकबा 1.05 हैक्टैयर मे जाने के लिए 15 फुट चौड़ा रास्ता की भूमि का राज्य दर के अनुसार कीमत पर्थी अदा करने के लिए तैयार है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी को अप्राथीगण संख्या 1 ता 15 की क्षतेदारी मे खेत ख. न. 3181 रकबा 4.17 हैक्टैयर व अप्रार्थी संख्या 16 की खातेदारी मे खेत ख .न. 4890,/3179 रकबा 0.43 हैक्टेयर अप्रार्थीगण संख्या 20 की खातेदारी मे ख. न, 4889/ 3179 रकबा 0.18 हैक्टेयर व ख.न. 4888 / 3178 रकबा 0.34 हैक्टैयर व अप्रार्थी संख्या 17 से 19 की खातेदारी ख.न. 4892 /3180 रकबा 0.52 हैक्टेयर की पश्चिमी माठ के सहारे सहारे होकर आगे प्रार्थी अपने खेत ख.न. 3177 रकबा 0.87 हैक्टेयर व ख.न 4887/3178 रकबा 0.18 हैक्टेययर कुल रकबा 1.05 हैक्टैयर मे जाने के लिए 15 फुट चौडा रास्ता दिया जज एवं जिसकी राजकीय नियमानुसार रकम अदा करने के लिए प्रार्थी तैयार है।

प्रकरण का अवलोकन किया गया । प्रकरण को वास्ते जांच हेतु तहसीलदार रियांबडी की भिजवाया गया। अप्रार्थगण को जवाब हेतु नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01, 02, 03, 08 की ओर से वकील श्री उम्मेदपुरी ने वकालतनामा पेश किया। अप्राथी संख्या 06, 07, 20 के नोटिस होकर प्राप्त,

...र हाजिर एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। अप्रार्थी संख्या 09, 10, 13, 15 फौत होने से कायम ...म की कार्यवाही वकील प्रार्थी द्वारा की गई। अप्रार्थी संख्या 01, 02, 07, 08 की ओर से जवाब पेश ...आ, शामिल मिसल किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा कायम मुकाम मय संशोधित शीर्षक पेश किया जिसे ...कर्ड पर लिया गया। वकील प्रार्थी ने कायम मुकाम के प्रार्थना पत्र मे यह अवगत करवाया कि अप्रार्थी ...संख्या 10 के कायम मुकाम अप्रार्थी संख्या 07 से 09 पहले से प्रार्थना पत्र मे मौजुद है। अप्रार्थी संख्या .../1, 5/ 2, 5,/3, 12,/1, 12/2, 12,/3, 15/1, 15/2, 15/3 की ओर से वकील श्री ...लाशनारायण दाधीच व श्री रामकिशोर तिवाड़ी ने वकालतनामा मय जवाब पेश किया, जिसे शामिल मिसल ...किया गया। अप्रार्थी संख्या 9/1 से 9/6, 12/4, 13/1 से 13/3, 15/4, 17, 18, 19 का नोटिस बाद ...शामिल प्राप्त, आवाज लगाई गई, कोई उपस्थित नही हुआ, लिहाजा इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की ...गई। तहसीलदार रियाबडी ने अपनी जांच रिपोट में अवगत करवाया गया कि ख.न. 4887 /3178 मे आने ...जाने हेतु पादूकलां से अजमेर एनएच 89 से रास्ता नजदीक है जो कि एनएच 89 से मांग किये ख.न. 3181 ...तक कदीमी रास्ता चल रहा है जो कि रास्ता लगभग 1/2 किमी यह आधा किलोमीटर रास्ता कट्टाणी ...रास्ता नही है। यह खातेदारों के खेतों से चला आ रहा है। वादी द्वारा ख.न. 4887 / 3178 एवं जैन. ...3177 मे रास्ता की मांग की गई है जिसमे तथ्य निम्नानुसार है:

1. ख.न. 4887 / 3178 मे आने जाने के लिए वर्तमान मे किसी भी प्रकार का रास्ता नही है।
2. यह है कि ख.न. 4887/3178 मे आने जाने के लिए ख.न. 3181, 4892 / 3180, 891 / 3180, 4890 / 3180, 4890 / 3179, 4889 / 3179, 4888 / 3178 मे से वादी ने – की मांग की गई है। उपरोक्त ख.न. मे वर्तमान मे मौका पर रास्ता नही है।
3. यह है कि ख.न. 3181 की दक्षिणी तरफ से पादूकलां से अजमेर एनएच 89 तक लगभग 1/2 किमी तक पहुंच मार्ग है वह कटाणी रास्ता नही है। मौके पर एनएच 89 से ख.न. 3181 तक आने वाला रास्ता कदीमी है तथा मौके पर खुला हुआ है। वर्तमान मे वादी द्वारा ख.न. 3181 से 4888/3178 तक रारता की मांग की गई है उसमे आग बीले ख.न. व प्रस्तावित रकबा निम्नानुसार है:

क्र सं	नाम खातेदार	प्रस्तावित रास्ता हेतु मांग किये गये ख. नं.	प्रस्तावित ख. न. का रकबा हैक्टेयर	रास्ता हेतु काम आने वाला रास्ता प्रस्तावित रकबा ल X चौ	रकबा रास्ता हेतु हैक्टर में
1	सूयप्रकाश पि. बस्तीराम वगैरह	3181	4.17	164 मी X 4 मी	0.0656
2	जस्साराम पि. प्रतापराम वगैरह	4892/3180	0.52	33 मी X 4 मी	0.0132
3	संजू देवी पत्नि बाबूराम	4891/3180	0.09	5 मी X 4 मी	0.0020
4	संजू देवी पत्नि बाबूराम	4890/3180	0.43	30 मी X 4 मी	0.0120
5	साउ देवी पत्नि पूराराम	4889/3179	0.18	13 मी X 4 मी	0.0520
6	साउ देवी पत्नि पूराराम	4888/3178	0.34	25 मी X 4 मी	0.1000

अतः ख.न. 3181 के दक्षिणी तरफ चलने वाला कदीमी रास्ता वादी द्वारा खनन, 4887/ 3178 के लिए ...ांग किया गया नजदीकी रास्ता है। अतः वादी द्वारा मांग किया गया रास्ता ख.न. 3181 के दक्षिणी तरफ ...दीमी रास्ता है एवं खुला हुआ है तथा राजस्व रेकर्ड में कट्टाणी अर्थात सरकारी रास्ता नही है।

अप्रार्थीगण संख्या 1, 2, 7, 8 की ओर से निम्न जवाब पेश है:–

यह है कि मौजा पादूकलां के खेत ख.न. 3177 रकबा 0.87 हैक्टेयर व ख.न. 4887/3178 रकबा 0.18 ...टेयर कुल रकबा 1.05 हैक्टेयेर अवश्य आया हुआ है, मगर ख.न. 3177 व 4887/3178 मे आने जाने का ...ता ख.न. 3181 रकबा 4.17 हैक्टेयर मे आया हुआ नही है। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 15 की खातेदारी के

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला-नागौर

...3181 रकबा 4.17 हैक्टेयर व अप्रार्थी संख्या 16 की खातेदारी के खेत ख.न. 4890/3179 रकबा 0.43 हैक्टेयर व अप्रार्थी संख्या 20 की खातेदारी के खेत ख.न. 4889/3179 रकबा 0.18 हैक्टेयर व ख.न 4888/3178 रकबा 0.34 हैक्टेयर व अप्रार्थीगण संख्या 17 से 19 की खातेदारी के खेत ख.न. 4892/3180 रकबा 0.52 हैक्टेयर मे से कोई रास्ता नहीं है तथा ख.न. 3181 के पास कोई कट्टाणी रास्ता नही है। प्रार्थी के खेत ख.न. 3177 व 4887/3178 मे आने–जाने का रास्ता उत्तरी तरफ स्थित कटानी रास्ता से फंटकर ख.न. 3213, 3211, 3173 व 3176 मे से होकर रास्ता चलता है, जो रास्ता वर्तमान मे खुला व चालु है तथा सबसे सरल, सुगम व नजदीकी रास्ता है। मगर प्राथी ने उक्त रास्ता का उल्लेख अपने प्रार्थना पत्र मे नहीं किया है। प्रार्थी हर वर्ष अपने खेत मे काश्त करता है। जो गिरदावरी से साबित है। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारीज के हैद्य प्रार्थी के खेत मे आने–जाने का वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। जिससे प्रार्थी को किसी प्रकार की तकलीफ व परेशानी नही होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। यह है कि प्रार्थी के पताये अनुसार कोई कटानी रास्ता मौके पर मौजूद नही है। प्रार्थी के खेत मे आने–जाने की रास्ता उपर बताये अनुसार मौजूद है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा व हर्जा खारिज किया जावें। अप्रार्थीगण संख्या 5/ 2 महेन्द व अप्रार्थीगण संख्या 5/3 प्रेमलता, अप्रार्थीगण संख्या 5/1 नरेन्द्र व 12/1 धनेश कुमार, 12/2 मोनिका, 12/3 खुशबु व अप्रार्थीगण संख्य 15/1 कमल किशोर, 15/2 चमन, 18/3 सुमन की ओर से निम्नलिखित जवाब प्रार्थना पत्र पेश है–

यह है कि मौजा पादूकला के खेत ख.न, 3177 रकवा 0.87 हैक्टेयर व ख नं 4887/3178 रकबा 0.18 हैक्टेयर कूल रकबा 1.05 हैक्टर अवश्य आया हुआ है, मगर ख नं 3177 व 4887/3178 में आने जाने का रास्ता ख.न, 3181 रकबा 4.17 हैवटेयर मे से प्रार्थी का न तो रारता था और न ही वर्तमान में है और न ही प्रार्थी इस खेत में से होकर अपने खे में आता जाता था और न ही वर्तमान मे आ जा रहा है बल्कि प्रार्थी अपने खेत मे निरंतर काश्त करने के लिए अन्य रास्ते से आता जाता है जिसका खुलासा आगे के पैरा मे किया जायेगा। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 15 की खातेदारी के ख.न. 3181 रकबा 4.17 हैक्टेयर व अप्रार्थी संख्या 16 की खातेदारी के खेत ख.न, 4890/3179 रकबा 0.43 हैक्टेयर व अप्रार्थी संख्या 20 की खातेदारी के खेत ख.न. 4889 /3179 रकबा 0.18 हैक्टेयर व ख.न 4888/3178 रकबा 0.34 हैक्टेयर व अप्रार्थीगण संख्या 17 से 19 की खातेदारी के खेत ख.न. 4892/3180 रकबा 0.52 हैक्टेयर मे से कोई रास्ता नही है तथा न ही प्रार्थी इन खेतों में से होकर या पश्चिमी माठ के सहारे सहारे कभी भी अपने खेतों पर न तो जाता था व नही ही आता जाता था इस बात की पुष्ठि इससे भी होती कि माननीय तहसीलदार रियांबडी की जांच रिपोट के पैरा संख्या 02 मे स्पष्ट रूप से लिखा है कि वर्तमान मे इन खेतों मे कोई रास्ता नही है तथा ख नं. 3181 के पास कोई कट्टाणी रास्ता नही है। प्रार्थी के खेत ख.न. 3177 व 4887/3178 में आने–जाने का रास्ता उत्तरी तरफ स्थित कटानी रास्ता से फंटकर ख.न, 3213, 3211, 3173 व 3176 में से होकर रास्ता चलता है, जो रास्ता वर्तमान मे खुला व चालु है तथा सबसे सरल सुगम व नजदीकी रास्ता है। मगर प्रार्थी ने उक्त रास्ता का उल्लेख अपने प्रार्थना पत्र में नहीं किया है। प्रार्थी हर वर्ष अपने खेत मे काश्त करता है। जो गिरदावरी से साबित है। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारीज के है। प्रार्थी के खेत मे आने–जाने का सही रास्ता उपर बताये अनुसार मौजूद है। उस रास्ते से ही प्रार्थी कदीमी से अपने खेत आता जाता है तथा अप्रार्थीगण के इन खेतों मे से प्रार्थी कभी आता जाता नही है तथा प्रार्थी को कोई परेशानी का सामना नही करना पड रहा है तथा प्रार्थी आराम से अपने खेतों में उपर बताये रास्ते आ जाकर काश्त कर रहा है। जिससे प्रार्थी को किसी प्रकार की तकलीफ व परेशानी होने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। प्रार्थी के खेत आने जाने का सही रास्ता उपर बताये अनुसार मौजूद है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय खर्चा व हर्जा खारिज किया जावें।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। तहसीलदार रियांबड़ी की जांच रिपोर्ट व अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब व पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकुलाय बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार रियांबडी की जांच रिपोट व सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी को मौजा पादूकलां की सरहद मे स्थित खेत ख़.न 3177 रकबा 0.87 हैक्टेयर व ख.न 4887/3178 रकबा 0.18 हैक्टेययर कुल रकबा 1.05 हैक्टैयर मे आने–जाने व ट्रैक्टर, छकड़ा, हल, बैल आदि ले जाने के लिए मौजा पादूकलां की सरहद मे स्थित खेत ख. न. 3181 रकबा 4.17 हैक्टैयर व खेत ख.न. 4890/3179 रकबा 0.43 हैक्टेयर खन. 4891/ 3180 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खेत ख.न. 4889 /3179

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला–नागौर

रकबा 0.18 हैक्टेयर व ख.न. 4888/3178 रकबा 0.34 हैक्टैयर व खेत ख.न. 4892/3180 रकबा 0.52 हैक्टेयर मे से तहसीलदार रियांबड़ी की मौका रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिया जाता है। तहसीलदार रियांबड़ी की मौका रिपोट आदेश का भाग समझा जावें। प्रभावित खसरान व रकबा निम्नानुसार है:

क्र सं	नाम खातेदार	प्रस्तावित रास्ता हेतु मांग किये गये ख. नं.	प्रस्तावित ख. न. का रकबा हैक्टेयर	रास्ता हेतु काम आने वाला रास्ता प्रस्तावित रकबा ल X चौ	रकबा रास्ता हेतु हैक्टर में
1	सूयप्रकाश पि. बस्तीराम वगैरह	3181	4.17	164 मी X 4 मी	0.0656
2	जस्साराम पि. प्रतापराम वगैरह	4892/3180	0.52	33 मी X 4 मी	0.0132
3	संजू देवी पत्नि बाबूराम	4891/3180	0.09	5 मी X 4 मी	0.0020
4	संजू देवी पत्नि बाबूराम	4890/3180	0.43	30 मी X 4 मी	0.0120
5	साउ देवी पत्नि पूराराम	4889/3179	0.18	13 मी X 4 मी	0.0520
6	साउ देवी पत्नि पूराराम	4888/3178	0.34	25 मी X 4 मी	0.1000

प्रार्थी तहसीलदार रियाबडी कार्यालय में उक्त कृषि भूमि के प्रभावित रकबे की डीएलसी दर की दोगुनी दर की राशि जमा करवाये। तहसीलदार रियांबडी उक्त राशि अप्रार्थी संख्या 1 से 20 को अदा करावें। प्रार्थी द्वारा राशि जमा करवाये जाने पर तहसीलदार रियांबडी उक्त रास्ते को राज्य सरकार के हक मे दर्ज करते हुवे किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज कर राजस्व रेकर्ड व नक्शें में अमल दरामद कर राजस्व रेकर्ड दूरस्त करें।

उक्त आदेश में पुनश्चः खातेदार क्रम संख्या 4 संजूदेवी पत्नि बाबूराम के खसरा नंबर 4890/3180 के स्थान पर 4890/3179 पढा जावे व क्रम संख्या 6 साउदेवी पत्नि पूराराम के खेत ख न 4888/3178 में से रास्ता हेतु प्रस्तावित रकबा 25 मी. X 4 मी. = 0.1000 हैक्टर के स्थान पर 0.0100 हैक्टर पढा जावे।

उक्त निर्णय दिनांक 20.06.22 को सुनाया गया। उक्त निर्णय से यथीत होकर श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के यहां अपील संख्या 134/22, धारा 225 आरटी एक्ट के तहत अप्रार्थी ने प्रस्तुत की जिसमें अपील न्यायालय ने अपील आंशिक स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.06. 22 को अपास्त किया गया एवं इन निर्देशो के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए एवं राजस्थान काश्तकारी सरकारी नियम 1955 के नियम 69 व 70 मे विहित प्रावधानो के अनुरूप उभय पक्षकारान की उपस्थिति में तैयार करे तथा तहसीलदार रियांबडी से रिपोर्ट प्राप्त कर धारा 251 ए के तहत सुसंगत प्रावधानो के परिप्रेक्ष्य में सुनवाई का समुचित अवसर देकर निर्णय पारित करे। पत्रावली पुनः दिनांक 04.04.23 को दर्ज की गई एवं तहसीलदार रियांबडी रिपोर्ट हेतु आगामी दिनांक रखी गई। तहसीलदार रियांबडी की रिपोर्ट दिनांक 05.07.23 को प्राप्त हुई जिसमें तहसीलदार रियांबडी रिपोर्ट में रास्ते की भूमि के स्वामित्व एवं रहन का विवरण संलग्न जमाबंदी नामांतरण संख्या 2950 के अनुसार है जो मंदिर माफी या सर्वोच्च न्यायालय व अन्य उच्च न्यायालय के जनहित याचिकाओ के निर्णयो व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत किसी प्रकार की प्रतिबंधित भूमि की श्रेणियो में नही आते है। प्रार्थी की जोत तक पहुंचने हेतु रास्ते व साधन का अभाव है। रास्ते हेतु मांग किये गये उपरोक्त खसरा नंबरो में मौके पर पूर्व से रास्ता स्थित नही है। रास्ता हेतु मांग किये गये उपरोक्त खसरा नंबर के अतिरिक्त कोई निकटतम वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नही है एवं श्रीमान न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रियांबडी के प्रकरण 26/21 की पालना में दर्ज नामांतरण संख्या 2950/06. 07.22 न्यायालय आदेश से साबिक खसरा नं 3181, 4892/3180, 4891/3180, 4890/3179, 4989/3179, 4888/3178 का विभाजन होने से नवीन रकबा रिकॉर्ड में दर्ज हो गये है जो पृष्ट संख्या 2 पर वर्णित सारणी अनुसार है। उक्त आराजी में वर्तमान राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर सूर्यप्रकाश बनाम छितरराम वगैरह 134/22/225 द्वारा यथास्थिति बनाये रखने का नोट अंकित है। उक्त प्रस्तावित रास्ता

उपखण्ड अधिकारी रियांबडी
जिला-नागौर

खसरा नंबर 3181/5221, 4892/5231, 4891/5229, 4890/5227, 4889/5225, 4888/5223 जो खसरा नंबर 4887/3178 जो प्रार्थी के खातेदारी के खेत तक पहुचता है एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए एवं सरकारी नियम 68 से 70 प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को मौका हेतु उपस्थित रहने हेतु दिनांक 26.05.23 को 10:00 बजे मौका मुआयना हेतु उपस्थित रहने हेतु नोटिस दिया गया। जो बाद तामील साथ रिपोर्ट के संलग्न है। मौका निरीक्षण किया गया। एवं मौका रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें मौके पर खसरा नं 3177 व 4887/3178 में आने जाने हेतु अन्य कोई नजदीकी व वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। उक्त खसरान मे आने जाने के लिये वर्तमान में खसरा नंबर 3181, 4892/3180, 4891/3180, 4890/3179, 4888/3179, 4889/3179 मे से मौके पर रास्ता उपलब्ध नही है। मौके पर खसरा नंबर 3181 की दक्षिणी सीमा पर कदीमी रास्ता है जो मौके पर चालू है व सार्वजनिक उपयोग मे आता है। व एनएच 89 अजमेर–पादूकलां रोड तक संपर्क मार्ग है। इस रास्ते तक पहुचं हेतु जो प्रार्थी की आराजी खसरा नंबर 3177 व 4887/3178 के लिये नजदीकी रास्ता है तक प्रस्तावित रास्ता हेतु निम्न खसरान में से रास्ते की मांग की गई है जिनकी राजस्व रेकर्ड व मौके के अनुसार स्थिति निम्न प्रकार पाई जाती है।

ग्राम	साबिक ख नं	रकबा हैक्टेयर	हाल ख नं	रकबा	किस्म भूमि	भूमि स्वामित्व/खातेदारी राजकीय	रास्ता हेतु काम आने वाला रास्ता प्रस्तावित रकबा ल X चौ	रकबा रास्ता हेतु हैक्टर में	प्रस्तावित भूमि पर कच्ची पक्की संरचना वृक्षो व फसल का विवरण
पादूकलां	3181	4.17	5222/3181	4.1044	बा–3	खातेदारी	–	–	ग्वार
			5221/3181	0.0656	रास्ता	राजकीय	164 मी X 4 मी	0.0656	ग्वार
पादूकलां	4892/3180	0.52	5232/4892	0.5068	बा–3	खातेदारी	–	–	–
			5231/4892	0.0132	रास्ता	राजकीय	33 मी X 4 मी	0.0132	
पादूकलां	4891/3180	0.09	5230/4891	0.0880	बा–3	खातेदारी			–
			5229/4891	0.0020	रास्ता	राजकीय	5 मी X 4 मी	0.0020	
पादूकलां	4890/3179	0.43	5228/4890	0.4180	बा–3	खातेदारी			–
			5227/4890	0.0120	रास्ता	राजकीय	30 मी X 4 मी	0.0120	
पादूकलां	4889/3179	0.18	5226/4889	0.1748	बा–3	खातेदारी			–
			5228/4889	0.00520	रास्ता	राजकीय	13 मी X 4 मी	0.0520	
पादूकलां	4888/3178	0.34	5224/4828	0.33	बा–3	खातेदारी			–
			5223/4888	0.0100	रास्ता	राजकीय	25 मी X 4 मी	0.1000	

प्रकरण का अवलोकन किया गया। तहसीलदार रियांबडी की जांच रिपोर्ट व अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब व पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकुलाय की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार रियाबडी की जांच रिपोर्ट व संपूर्ण विवेचन के आधार पर रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी को मौजा पादूकलां की सरहद मे स्थित खेत ख.न 3177 रकबा 0.87 हैक्टेयर व ख.न 4887/3178 रकबा 0.18 हैक्टेययर कुल रकबा 1.05 हैक्टैयर मे आने–जाने व ट्रैक्टर, छकड़ा, हल, बैल आदि ले जाने के लिए मौजा पादूकलां की सरहद मे स्थित खेत ख. न. 3181 रकबा 4.17 हैक्टैयर व खेत ख.न. 4890/3179 रकबा 0.43 हैक्टेयर खन. 4891/ 3180 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खेत ख.न. 4889 /3179 रकबा 0.18 हैक्टेयर व ख.न. 4888/3179 रकबा 0.34 हैक्टैयर व खेत ख.न. 4892/3180 रकबा 0.52

[illegible] मे से तहसीलदार रियांबड़ी की मौका रिपोर्ट अनुसार रास्ता दिया जाता है। तहसीलदार रियांबड़ी की मौका रिपोट आदेश का भाग समझा जावें। प्रभावित खसरान व रकबा निम्नानुसार है:

ग्राम	साबिक ख नं	रकबा हैक्टेयर	हाल ख नं	रकबा	किस्म भूमि	भूमि स्वामित्व/ खातेदारी राजकीय	रास्ता हेतु काम आने वाला रास्ता प्रस्तावित रकबा ल X चौ	रकबा रास्ता हेतु हैक्टर में	प्रस्तावित भूमि पर कच्ची पक्की संरचना वृक्षो व फसल का विवरण
पादूकलां	3181	4.17	5222/3181	4.1044	बा–3	खातेदारी	–	–	ग्वार
			5221/3181	0.0656	रास्ता	राजकीय	164 मी X 4 मी	0.0656	ग्वार
पादूकलां	4892/3180	0.52	5232/4892	0.5068	बा–3	खातेदारी	–	–	–
			5231/4892	0.0132	रास्ता	राजकीय	33 मी X 4 मी	0.0132	
पादूकलां	4891/3180	0.09	5230/4891	0.0880	बा–3	खातेदारी			–
			5229/4891	0.0020	रास्ता	राजकीय	5 मी X 4 मी	0.0020	
पादूकलां	4890/3179	0.43	5228/4890	0.4180	बा–3	खातेदारी			–
			5227/4890	0.0120	रास्ता	राजकीय	30 मी X 4 मी	0.0120	
पादूकलां	4889/3179	0.18	5226/4889	0.1748	बा–3	खातेदारी			–
			5228/4889	0.00520	रास्ता	राजकीय	13 मी X 4 मी	0.0520	
पादूकलां	4888/3178	0.34	5224/4828	0.33	बा–3	खातेदारी			–
			5223/4888	0.0100	रास्ता	राजकीय	25 मी X 4 मी	0.1000	

प्रार्थी तहसीलदार रियाबडी कार्यालय में उक्त कृषि भूमि के प्रभावित रकबे की डीएलसी दर की दोगुनी दर की राशि जमा करवाये। तहसीलदार रियांबडी उक्त राशि अप्रार्थी संख्या 1 से 20 को अदा करावें। प्रार्थी द्वारा राशि जमा करवाये जाने पर तहसीलदार रियांबडी उक्त रास्ते को राज्य सरकार के हक मे दर्ज करते हुवे किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज कर राजस्व रेकर्ड व नक्शें में अमल दरामद कर राजस्व रेकर्ड दूरूस्त करें एवं यदि प्रार्थी ने उक्त रास्ता के प्रभावित रकबे की डीएलसी दर की दुगुनी दर से राशि जमा करवा दी गई तो उक्त रास्ता जो गैर मुमकिन दर्ज है उसको राजस्व रेकर्ड व नक्शे में अमल दरामद कर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त करे व आदेश की पालना करे।

(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
रियांबडी